अनु० 263 :- अन्तर्राज्यीय परिषद :-

↳ सरकरिया आयोग के सिफारिश पर सन् 1990 मे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। → V.P. सिंह

↳ इस परिषद का अध्यक्ष - प्रधान मंत्री होता है।

कार्य :-

1. राज्यों के साझा हितों बढ़ावा देना।
2. राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना।
3. राज्यों के हितों और विवादों की सूचना राष्ट्रपति को देना।

अनु० २५८ :- अवशिष्ट शक्तियाँ :-

- ऐसे विषय जो संघ राज्य या समवर्ति सूची मे शामील नही होते वे अवशिष्ट विषय कहलाता है।
- अवशिष्ट विषय को कनाडा से लिया गया।
- परमाणु-नाभीकिय, अन्तरिक्ष
- अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार संघ के पास होगा।

(भाग-12) → विित्तिय सम्बंध - अनु० 264-300

अनु० 266 :- लोकलेखा एवं संचित निधि :-

→ अर्थदण्ड या जुर्माना

→ कर-Tax, विदेश से कर्ज विदेश को कर्ज देकर ब्याज प्राप्त करें।

अर्थ दण्ड और जुर्माना को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कर विदेश से लिया गया कर्ज, दिये गये कर्ज से प्राप्त ब्याज भारत के संचित निधि में जमा होगा।

अर्थदण्ड और जुर्माना का धन लोकलेखा निधि में जमा होता है।

→ इस पर नियन्त्रण संसद का होगा।

अनु० 267 :- आकस्मिक निधि :-

- अति आवश्यक या अचानक धन के आवश्यकता की पूर्ति इस निधि से किया जायेगा।
- इस पर नियन्त्रण राष्ट्रपति होगा।
- बजट के दौरान संसद आकास्मिक निधि मे धन का प्रावधान करती है।

GST से सम्बंधित - अनु० और GS.

101वां CAA 2016-17 के द्वारा

- अनु० 246-A ÷ GST संघ और राज्य दोनो लागू करेंगे।
- अनु-269-A ÷ GST एक कर है - संघ और राज्य को वितरण किया।
- अनु-279-A ÷ GST परिषद का गठन
  - ↳ 33 सदस्यी है → अध्यक्ष - वित्त मंत्री
- → अप्रत्यक्ष कर है।

↳ GST - Goods and Service Tax - वस्तु एवं सेवा कर

↳ यह विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया।

↳ GST को VAT के स्थान पर लागू किया गया।

↳ Value Added Tax → मूल्य वर्धित कर

↳ GST का उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक कर है।

↳ सम्पूर्ण भारत मे GST 1 जुलाई 2017 से लागू

↳ सबसे पहले लागू करने वाला राज्य – असम April 2017

↳ अन्तिम मे .... → J/K

↳ GST कितने प्रकार → ③ → ① CGST → केन्द्र

② SGST → राज्य

③ IGST → संयुक्त राज्य

↳ Intigrated

GST 5 चरण मे लागू है।

① 0%
② 5%
③ 12%
④ 18%
⑤ 28%

↳ विश्व मे सबसे पहले GST लागू करने वाला देश → फ्रांस 1954

↳ भारत - 161वा देश GST लागू करने वाला बना।

↳ भारत की GST कनाडा पर आधारित है।

भाग-16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध - अनु- 330-342

अनु० - 330 :- लोकसभा मे SC और ST के लिए सिटों मे आरक्षण
SC - 84 ST - 47 = SC+ST = 131.
106वा C.A.A. नारीशक्ति वंदन योजना - महिला - 33%.
यहाँ से - SC/ST की सीट - महिला को।

अनु० 331 :- लोकसभा मे 2 Anglo-Indian का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।
104वा C.A.A. 2019-20 के द्वारा मनोनयन समाप्त।

अनु- 332 :- विधान सभा मे SC/ST के लिए आरक्षण

अनु- 333 :- विधान सभा मे 1 Anglo-Indian का मनोनयन राज्यपाल द्वारा।
104वा CAA - प्रभाव

Note:- राज्यसभा और विधान परिषद मे आरक्षण का कोई प्रावधान नही है।

अनु-334:- Anglo-Indian का आरक्षण → समाप्त ✓

अनु-335:- प्रशासनिक कार्यो मे SC/ST को उतना ही आरक्षण दिया जायेगा जिससे प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित नही हो।

अनु० 338 :- SC आयोग है। → 65वां CAA 1991 के SC-ST आयोग अलग।

अनु - 338-क - ST आयोग है। → 89वां CAA 2003 के द्वारा गठन।

अनु - 338-ख - OBC आयोग। → 102वां CAA 2018 के द्वारा।

अनु० 350 :- अल्पसंख्यक, महिला, आदि आयोग का प्रावधान है।

Note :- सभी आयोग 5 सदस्यी है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

✓ अनु-341 → SC
✓ अनु- 342 → ST

राष्ट्रपति, किसी भी समुदाय, वर्ग, जाति या क्षेत्र को रहन सहन के आधार पर अनु- 341 के तहत SC जाति तथा अनु-342 के तहत ST जाति मे शामिल कर सकेगा।